

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 594]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24636-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१०

मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ को निरसित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से अभिप्रेत है, धारा १ की उपधारा (२) के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख;

(ख) “निगम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २ सन् १९७७) की धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) नियत दिन को मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २ सन् १९७७) निरसित हो जाएगा और निगम विघटित हो जाएगा.

(२) निगम की समस्त आस्तियां तथा दायित्व नियत दिन को राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे तथा राज्य सरकार को ऐसी समस्त आस्तियों को कब्जे में लेने, वसूल करने और संव्यवहार करने तथा ऐसे दायित्वों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक शक्तियां होंगी.

(३) इस निरसन से,—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध कारित किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रवर्तित किये जा सकेंगे मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने विनिश्चय किया है कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम को निम्नलिखित कारणों से विघटित किया जाए, अर्थात् :—

- (१) पिछले कई वर्षों से निगम में कोई कार्यकलाप नहीं हो रहे थे क्योंकि बहुत अधिक हानियां होने के कारण उसका काम बन्द हो गया था.
- (२) बिना काम के बहुत अधिक प्रशासनिक और अन्य व्यय.
- (३) काम न करने वाले निगम के पोषण से शासकीय रोजकोष पर पड़ने वाले भार को कम करने तथा निगम की बेकार पड़ी आस्तियों और संसाधनों का और अधिक लाभदायक रूप में दक्ष व आर्थिक उपयोग करने के लिये सरकार को समर्थ बनाने के लिए.
- (४) रुग्ण निगम के लेनदारों और उधार देने वालों के बढ़ते जा रहे दायित्वों का उन्मोचन करने के लिए.

२. उपरोक्त कारणों से यह विनिश्चय किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २ सन् १९७७) को निरसित किया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक १६ नवम्बर, २०१०.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

विधेयक के खण्ड ३ द्वारा राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने संबंधी प्रावधान है. जिसके अंतर्गत निगम की समस्त शक्तियां तथा दायित्व नियत दिन को राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे तथा राज्य सरकार को ऐसी समस्त अस्तियों को कब्जे में लेने, वसूल करने और संव्यवहार करने तथा ऐसे दायित्वों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.